रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219593
CG-DL-E-27052020-219593

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
No. 237]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 5, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

सा.का.नि. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28ग और धारा 28घ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें एवं भत्ते नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें एवं भत्ते (संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें एवं भत्ते नियम, 2006 के उपनियम (8) में, उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा" ।

[फा. सं. 1/15/2010-पी1 (खंड.2)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ), तारीख 27 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 5 मार्च,2009, सा.का.नि. 8 (अ), तारीख 10 जनवरी, 2012, सा.का.नि. 32(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 148(अ), तारीख 8 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

G.S.R. 311 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (2) of section 29A, read with Section 28C and Sub-section (1) of section 28D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chartered Accountants Procedure of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chartered Accountants Procedure of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board (Amendment) Rules, 2020.

(2), They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Procedure of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, in sub-rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(1) The tenure of the Chairperson and the Members of the Board shall be three years".

[F.No.1/15/2010-PI (Vol.II)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note:The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number GSR 735(E), dated the 27th November, 2006 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 152(E), dated the 5th March, 2009, G.S.R. 8(E), dated the 10th January, 2012, G.S.R. 32(E), dated the 16th January, 2014 and G.S.R. 148(E), dated the 08th February, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

सा.का.नि. 312(अ).—केन्द्रीय सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सा.का.नि. सं. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (7), (8),(9), (10) और (11) के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(7)	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	दुर्गेश कुमार काबरा, -सदस्य	अधिसदस्य	चार्टर्ड
(8)	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	दयानिवास शर्मा, -सदस्य	अधिसदस्य	चार्टर्ड
(9)	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	सुशील कुमार गोयल, -सदस्य	अधिसदस्य	चार्टर्ड

(10)	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	प्रमोद कुमार बूब, -सदस्य	अधिसदस्य	चार्टर्ड
(11)	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	प्रमोद जैन, -सदस्य"।	अधिसदस्य	चार्टर्ड

[फा. सं. 1/15/2010-पी1 (भाग 2)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 684(अ), तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 12 जून, 2012, सा.का.नि. 486(अ), तारीख 21 जून, 2012 , सा.का.नि. 810(अ), तारीख 5 नवंबर, 2012, सा.का.नि. 131(अ), तारीख 1मार्च, 2014, सा.का.नि. 569(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 834(अ), तारीख 24 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 563(अ), तारीख 20 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 30 सितंबर, 2015, सा.का.नि. 681(अ), तारीख 12 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 376(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 1155(अ), तारीख 30 नवंबर,2018 और सा.का.नि. 699(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

G.S.R. 312(E).—In exercise of the powers conferred by section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 38 (E), dated the 19th January, 2011, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (7), (8), (9), (10) and (11) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"(7)	Chartered Accountant, Durgesh Kumar Kabra	Fellow Chartered Accountant	-Member
(8)	Chartered Accountant, Dayaniwas Sharma	Fellow Chartered Accountant	-Member
(9)	Chartered Accountant, Sushil Kumar Goyal	Fellow Chartered Accountant	-Member
(10)	Chartered Accountant, Pramod Kumar Boob	Fellow Chartered Accountant	-Member
(11)	Chartered Accountant, Pramod Jain	Fellow Chartered Accountant	-Member

[F.No.1/15/2010-PI(Part-II)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number GSR 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012, G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012, G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014, G.S.R. 569(E), dated the 7th August, 2014, G.S.R. 837(E), dated the 24th November, 2014, G.S.R. 563(E), dated the 20th July, 2015, G.S.R. 744(E), dated the 30th September, 2015, G.S.R. 681(E), dated the 12th July, 2016, G.S.R. 376(E), dated the 17th April, 2017, G.S.R. 1155(E), dated the 30th November, 2018 and G.S.R. 699(E), dated the 30th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.27 21:23:23 +05'30'